न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

प्रकाशचन्द्र पिता मांगीलाल प्रजापत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्दसिंह पिता मोतीसिंह रावत, निवासी कलामाना का बाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मूलसिंह पिता रूपसिंह रावत, निवासी कलामाना का बाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारायणसिंह पिता कूपसिंह रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. नारायणसिंह पिता सोहनसिंह रावत, निवासी नाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. बाबूसिंह पिता प्रतापसिंह रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. कानसिंह पिता किशनसिंह रावत, निवासी तेजाजी का बाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. सार्दुलराम पिता लच्छीराम प्रजापत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
8. घीसासिंह पिता पन्नासिंह रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
9. मूलसिंह पिता जोधसिंह रावत, निवासी मकाना पीथा का बाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

11. सरपंच ग्राम पंचायत टोगी, पंचायत समिति भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 19.07.2024, प्र.सं. 81/2022

———/———

उपस्थित :– 1– श्री हिमाशु सोलंकी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं.1 से 9

———::———

निर्णय **दिनांक 09–04–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत टोगी, तहसील भीम की आराजी 2401/386 एक श्मशान घाट स्थित जो राजस्व रेकार्ड में श्मशान भूमि के नाम से दर्ज होकर 500 वर्षो से भी अधिक समय से आस–पास के गांव वालों के लिए शवदाह हेतु प्रयुक्त हो रही है। उक्त श्मशान घाट का रास्ता नेशनल हाईवे नंबर 8 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी नंबर 482 में से होकर जाता है उक्त खसरा नंबर 482 के आगे श्मशान तक पक्की डामर की सड़क बनी हुई है। उक्त आराजी में से होकर गुजरने वाला रास्ता हमारे पूर्वजों के समय से उपयोग किया जाता रहा है तथा गांव वाले भी इसी रास्ते से श्मशान घाट आते जाते हैं तथा श्मशान आने जाने का यही एक मात्र रास्ता है, जो सार्वजनिक रूप से ग्रामवासियों के लिए निर्बाध रूप से उपयोग में आ रहा है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ते का अवरूद्ध कर दिया है, जिसे खुलवाया जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्मशान पर आने जाने के तीन अन्य वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, जिसका उपयोग ग्रामवासी कदीम से करते चले आ रहे हैं, जो वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

वहां अलग से रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–07–2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील दिनांक 24–07–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिमाशु सोलंकी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि श्मशान पर आने जाने हेतु पहले से ही तीन रास्ते मौजूद हैं तथा मार्ग में बिलानाम भूमि भी स्थित है, जिसका उल्लेख नहीं है। पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने से नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। धारा 251–ए में सिर्फ खेतों मे आने जाने के लिए रास्ते की मांग कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि आधी दूरी तक रास्ता बना हुआ है तथा आधी दूरी का रास्ता अपीलान्ट की भूमि से दिया गया है, जो नियमानुसार तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 2401/386 रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि श्मशान के नाम दर्ज है, जबकि आराजी नंबर 482 रकबा 1.1007 हैक्टर भूमि अपीलान्ट प्रकाशचन्द्र के खातेदारी में दर्ज है, जिसमें से रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा श्मशान में जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। मौका पर्चा अनुसार आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 482 में 30 x 317 वर्गफिट का रास्ता दिया जाना संभव है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि ''राजस्व रेकार्ड में कोई भी रास्ता वर्तमान में दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भी पूर्व से उपयोग में लिया जाना जाहिर होता है, जिससे ग्राम की मुख्य आबादी के नजदीकतम रास्ता होने से काम में लिया जाना जाहिर है, जिससे खातेदार द्वारा बन्द कर दिये जाने से विवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपयोग के मद्दे नजर उक्त प्रस्तावित रास्ता अनुमत किया जाना उचित है।'' प्रकरण में हम यह पाते हैं कि श्मशान में आने जाने का रास्ता किसी का व्यक्तिगत नहीं होकर सार्वजनिक रास्ता होता है, जिसे अपीलान्ट द्वारा बन्द कर दिया गया है जो मौके के फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 482 में से 30 x 317 वर्गफिट रास्ता कीमतन दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–07–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 09–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested